(70)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3339–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–10–15 पारित द्वारा तहसीलदार, खकनार जिला बुरहानपुर प्रकरण कमांक 2/अ–13/2014–15.

विद्याबाई विधवा सन्तोष मोरे
निवासी मोहल्ला सिलमपुरा बुरहानपुर
जिला बुरहानपुर
.....आवेदिका

विरूद्ध

1– जनार्दन पिता ज्ञानेश्वर
2– विश्वास पिता ज्ञानेश्वर
निवासीग्रण ग्राम सारोला
तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर
.....अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदिका
श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक एवं
श्री टी.टी. गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 9/1/18 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, खकनार जिला बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–10–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, नेपानगर के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सारोला तहसील नेपानगर स्थित सर्वे कमांक 480/3 रकबा 1.20 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 480/6 रकबा 1.20 हेक्टेयर उनके स्वत्व, स्वामित्व की भूमि है, जिस पर आने–जाने के रूढ़िगत रास्ते को आवेदिका सहित अन्य के द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । साथ ही संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत अन्तरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–13/2014–15 दर्ज कर दिनांक 3–10–15 को

अन्तरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया । तहसील न्यायाल के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा बिना स्थल निरीक्षण किये रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा यह भी निरीक्षण नहीं किया गया है कि मौके पर रास्ता है अथवा नहीं और आसपास के कृषक आने–जाने के लिए किस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदकगण के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की भूमि से रास्ता देने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा नवीन रास्ते का सृजन किया गया है, जिसका अधिकार उन्हें नहीं है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषकों द्वारा में मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा उभय पक्ष एवं पंचों की उपस्थिति में विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर पंचनामा बनाया गया है, जिसमें मौके पर रूढ़िगत मार्ग होना पाया गया है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा गठित सीमांकन दल द्वारा दिनांक 4–9–15 को विधिवत सूचना उपरान्त विवादित स्थल का ई.टी.एस. मशीन से सीमांकन किया जाकर सर्वे कमांक 474 एवं सर्वे कमांक 471 के मेढ़ से निशानात लगाकर बताई गई है और आवेदिका द्वारा स्वयं मौके पर रूढ़िगत रास्ता होना स्वीकार किया गया है ।

(3) तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण में मौके पर रूढ़िगत रास्ता होने एवं आवेदिका द्वारा अवरूद्ध करना पाये जाने पर अन्तरिम रूप से खोले के आदेश देने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(4) अनावेदकगण के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है और तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण का अन्तिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदिका को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की कोई विधि एवं प्रकिया सम्बन्धी अनियमितता, अवैधानिकता, अशुद्धता नहीं होने से निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि रास्ते के संबंध में विवाद उत्पन्न होने पर तहसील न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक से सीमांकन प्रतिवेदन मय पंचनामा के प्राप्त किया जाकर अंतर्निहित शक्तियों के अधीन अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाये जाने के आदेश दिया गया है जो कि विधिसंगत है । तहसीलदार द्वारा अभी अंतरिम आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदिका को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । अतः तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए दो माह में प्रकरण का अन्तिम निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, खकनार जिला बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–10–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर